



*(Handwritten mark)*

काष्ठकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251-ए के तहत एक प्राथमिक  
व्यापार के समक्ष प्रार्थना-पत्र. संख्या एक से चार नै राजस्थान  
संक्षेप में इस प्रकार के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनियम  
दिनांक 19 जुलाई 2018 को प्रस्तुत की है।

अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत द्वारा के समक्ष  
पारित आदेश दिनांक 18 जून 2018 के विभागीय राजस्थान काष्ठकारी  
प्रकरण संख्या 01/2016 विरामराज व अन्य बनाम गोपराज आदि में  
अपील नै यह उपरोक्त अधिकांसी, श्रीपालवाल द्वारा राजस्व  
दिनांक : 22 नवंबर, 2019



**निर्णय**

- श्री श्री.एल.विश्वकिंद अधिवक्ता-पत्र. संख्या 5 से 14
- श्री इंदरराज चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-पत्र. संख्या 15
- श्री रामप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता-पत्र. संख्या एक से चार
- श्री सुजानमल परिहार एवं श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-पत्र-अपील नै

----- 0 -----

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान  
काष्ठकारी अधिनियम, 1955 विराम आदेश  
उपरोक्त अधिकांसी श्रीपालवाल (कैम्प कोर्ट  
अरटिया कला) दिनांक 18 जून 2018 राजस्व  
प्रकरण संख्या 01/2016 विरामराज व अन्य  
बनाम गोपराज इत्यादि

-----पत्र.

- 15. राजस्थान सरकार नै तहसीलदार श्रीपालवाल
- जिला जोधपुर
- जिला जोधपुर
- जिला जोधपुर अरटिया कला, तहसील श्रीपालवाल








की मांग की गयी) से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड नमाबंदी एवं राजस्व नदरी का भी अवलोकन किया गया, जिससे यह पाया जाता है कि नमाबंदी (खतीनी) नाम अरटिया कला पटवार क्षेत्र अरटिया कला नमाबंदी (खतीनी) क्षेत्र नुवती तहसील भीपालवाड़ जिला जोधपुर राजस्थान संवत् 2061 से 2064 में कॉलम संख्या 4 में परफॉर्म-रेसपो. के नाम दर्ज है तथा कॉलम संख्या 5 में उनके खातेदारी एवं कांस्ट की आरखियात खासत तमबर 572, 573, 577, 580, 581, 585, 855, 941, 579 व 858/1 कुल दस खासतान दर्ज है। राजस्व नदरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इनमें से खासत संख्या 581 खासत संख्या 548 और नमाबंदी संख्या से सिपवा हुआ है, अर्थात् परफॉर्म-रेसपो. की खातेदारी के उक्त खासत संख्या 581 तक आवाजान के लिए अलग से फिर्मा रस्ते की आवश्यकता नहीं पडती है। इसके बाद खासत संख्या 581 - 579 - 577 - 585 परस्पर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जाहिर है कि परफॉर्म-रेसपो. संख्या एक से चार को अपने खातेदारी के उक्त खासत संख्या 585 व 577 तक आवाजान के लिए अलग से फिर्मा रस्ते की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नियमों में अन्य कोई वैकल्पिक रस्ते उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निकटतम और लघुतम दूरी का रस्ता उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान हैं, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि परफॉर्म-रेसपो. अर्थात् उसकी खातेदारी में अन्य के चहुँ और रस्ते उपलब्ध कराये जाते। नियमानुसार परफॉर्म की सिपवा को भी नहीं देखा जाता, बल्कि अव्याधिक आवश्यकता एवं अन्य रस्ते की उपलब्धता देखी जाती है।

अदालत द्वारा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251ए राजस्थान कांस्टकाटी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों एवं मंशा को

संख्या 11/2018  
 राजस्थान न्यायालय



सही तौर पर समझने में त्रुटि की गयी है और संबंधित तिथियों की विधिवत पालना भी अधीनस्थान आदेश पारित करने के पूर्व सुनिश्चित नहीं की गयी है।

इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदावात

हाना की राय में अधीनस्थान आदेश दिनांक 18 जून 2018 समझने किसे जानें योग्य नहीं पाया जाता है, जो तदनुसार खारिज करते हुए अधीन अधीनस्थान स्वीकार की जाती है। साथ ही प्रार्थना-रेसपो. संख्या एक से बार का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए सरते की उपलब्धता होने की वजह से स्वीकार किसे जानें योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज किया जाता है।

निर्णय सुनने न्यायालय में सुनाना गया।  
22/11/19

न्यायाधीश  
राजस्थान हाईकोर्ट

(न्यायाधीश प्रथम)  
राजस्थान अधीनस्थान, जोधपुर

